संख्या-27/08/84-डे0ई0-14-01चिकित्सा/08

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय,
लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 20 जनवरी, 2014

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती वीना वर्मा, समीक्षा अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डेस्क इकाई, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा अपने घुटने का अपरिहार्य परिस्थितियों में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, लखनऊ में दिनांक 28-3-2013 से दिनांक 08-08-2013 तक की अवधि में करायी गयी चिकित्सा पर व्यय हुयी धनराशि रू0 4,686.00 (रूपये चार हजार छः सौ छियासी मात्र) की प्रतिपूर्ति के संबंध में अधीक्षक सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-63/971/84-डे0ई0-13-01चिकित्सा/08, दिनांक 13-11-13 द्वारा प्रश्नगत दावा तकनीकी परीक्षण हेतु भेजा गया था। अधीक्षक सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 17-12-2013 में अवगत कराया गया कि आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा उपचारित दावे के परीक्षण की क्षमता अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी को नहीं है। कृपया सक्षम अधिकारी को परीक्षण हेतु दावा प्रेषित करें। अत: उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार श्रीमती वीना वर्मा, समीक्षा अधिकारी के उपचार से संबंधित चिकित्सक का प्रमाण-पत्र एवं कार्यालय को दी गयी उपचार की सूचना तथा प्रश्नगत दावा (अनिवार्यता प्रमाण एवं बिल बाउचर्स) मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत दावे का तकनीकी परीक्षण कराकर प्रस्तुत दावे हेतु देय धनराशि स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए अपनी संस्तुति उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डेस्क इकाई, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त (मूलरूप में)

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/